



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082026-275051
CG-DL-E-01082026-275051

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3962]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2026/श्रावण 5, 1948

No. 3962]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2026/SHRAVAN 5, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2026

का.आ. 4132(अ) —केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1957(E) तारीख 20/04/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में NH-NE5 के कि.मी. 515 से कि.मी.566.52 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 22/04/2026 को “स्टेट टाइम्स”, 22/04/2026 को “पंजाब केसरी” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में NH-NE5 के कि.मी. 515 से कि.मी.566.52 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: जम्मू		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: डंसल					
गांव का नाम: सुकेटर					
1	86	निजी	एग्रीकल्चर	0.0417285	मोहन लाल पुत्र 8 कनाल-01 मरला बदामो 1 कनाल- 16 मरला, सारवानो 19 मरला सुपुत्री श्रीमती सोमा पत्नी कृष्ण 16 मरला प्रेमचंद - छोटू राम पुत्र पुष्पा देवी - सत्या देवी सुपुत्री श्रीमती सुरजू देवी विधवा जाट बराबर हिस्सा 14 कनाल-17 मरला, काका राम पुत्र - श्रीमती वू - कृष्णी, सुपुत्री श्रीमती अमर देई विधवा कमलू बराबर हिस्सा 4 हिस्से, परवेश कुमार पुत्र श्रीमती मखेनू देवी, कमला देवी सुपुत्री श्रीमती राजो विधवा रामचंद समान हिस्सा 1 हिस्सा 8 कनाल-08 मरला सोहन लाल-पूरनचंद, गोविंद राम पुत्र श्रीमती शारदा देवी - तारो देवी सुपुत्री टिटर बराबर

					हिस्सा - 06 मरला, मेघ देहाजा, उत्परिवर्तन संख्या 551 - वार्यास्ट। कास्तकार का नाम सोहन लाल, पूरनचंद, गोविंद राम पुत्र श्रीमती शारदा देवी, तारो देवी सुपुत्री बराबर हिस्सा कब्जा धारक का नाम सोहन लाल, पूरनचंद, गोविंद राम पुत्र टिटर राम बराबर के हिस्से
				कुल योग	0.0417285

[फा. सं. NHAI/PIU/Jammu/DAKP/001/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2026

S.O. 4132(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1957(E) Dated:20/04/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-NE5 in the stretch of land from Km. 515 to Km. 566.52 in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR

And whereas the substance of the said notification has been published in “State Times” dated 22/04/2026, “Punjab Kesari” dated 22/04/2026 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-NE5 in the stretch of land from Km. 515 to Km. 566.52 in the district of JAMMU in the state of JAMMU & KASHMIR

State: JAMMU & KASHMIR			District: JAMMU		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dansal					
Village: Suketar					
1	86	Private	Agriculture	0.0417285	Mohan Lal Son 8 kanal-01 Marla Badamo 1 Kanal-16 Marla, Sarvano 19 Marlas D/o Smt. Soma Wd/o Krishan 16 Marlas Premchand - Chotu Ram Ss/o Pushpa Devi - Satya Devi D/o Smt. Surjoo Devi Wd/o Jatt equal Shares 14 Kanal-17 Marla, Kaka Ram Son - Smt Woo - Krishani, Daughter Smt. Amar Dei Wd/o Kamloo equal Share 4 Share, Parvesh Kumar Son Smt. Makhenoo Devi, Kamla Devi Daughter Smt Rajo Wd/o Ramchand equal Share 1 share der 8 Kanal-08 Marla Sohan Lal-Puranchand, Govind Ram Ss/o Smt. Sharda Devi - Tarro Devi Daughter of equal Share Titer - 06 Marlas, Megh Dehaja, mutation Nos 551 - waryast. Name of Khasthkar Sohan Lal, Puranchand, Govind Ram Ss/o Smt. Sharda Devi, Tarro Devi Daughter equal Shares Name of Possession Holder I Sohan Lal, II Puranchand, III Govind Ram Ss/o Titer Ram equal Share
Total				0.0417285	

[F. No. NHAI/PIU/Jammu/DAKP/001/3D]

SAIKH AMINKHAN, Director